न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 09.10.2020

रामसिंह पुत्र श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गेरोटी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

.....आवेदक

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गेरोटी तहसील दूनी जिला टोंक हाल निवासी ग्राम ऊम (काबरा) तहसील व जिला टोंक राजस्थान
2. भू–आवंटन सलाहाकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक
3. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राजस्थान

.....विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.01.1979

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक आवेदक

निर्णय

दिनांक 20/3/25

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 240 / 1 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गैरोटी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त साबिक खसरा नम्बर मे विपक्षी संख्या 1 को 4 बीघा भूमि आवंटन की गई जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 वाके ग्राम गैरोटी तहसील दूनी जिला टोंक मे जरिये नामान्तकरण संख्या 169 से की गई तथा उक्त 4 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम हाल खसरा नम्बर 198 रकबा 1.05 है. वाके ग्राम गेरोटी दर्ज है। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अभिभाषक आवेदक ने लिखित बहस पेश की।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में अंकित किया कि साबिक खसरा नम्बर 240/1 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गेरोटी पर आवेदक विगत 50 वर्ष से अधिक समय से ही काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है तथा आवेदक के कब्जे के लिये निश्चायक सबूत खसरा गिरदावरी में दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में कहीं भी कब्जा दर्ज नही है। विपक्षी संख्या 1 ने छल व कपट पूर्वक राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साठ–गांठ करके साबिक खसरा नम्बर 240/1 में 4 बीघा भूमि अपने नाम बिना कब्जे के ही आवंटन करवा ली, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के तहत यह आज्ञापक प्रावधान है कि आवंटी को आवंटित हुई जमीन में से आधे भाग पर प्रथम वर्ष में तथा शेष रहे आधे भाग पर द्वितीय वर्ष में फसल काश्त करना आज्ञापक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधान का पालन नही किया गया, क्योंकि अवैधानिक तरीके से उसको आवंटित हुई जमीन पर उसका कब्जा ही नही है तो काश्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता, जिससे भी उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत यह आज्ञापक है कि जब कहीं आवंटन किया जाता है तो उसके लिये राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्धित उद्घोषणा जारी की जाती है परन्तु तत्समय किसी प्रकार की आवंटन हेतु कोई उद्घोषणा जारी नही की हुई थी। जब कोई जगह किसी व्यक्ति को आवंटित की जाती है तो उसके कब्जे के सम्बन्ध में जांच की जाती है तथा पंचायत मुख्यालय पर उसके सम्बन्ध में आम सूचना दी जाती है तथा हितबद्ध लोगो से आपत्तियां मांगी जाती है, परन्तु इस प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा उक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तथा बिना विधि सम्यक प्रक्रिया अपनाये छल व कपट पूर्वक मिथ्या वर्णन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में 4 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक आवेदक ने अंकित किया हैं कि विपक्षी संख्या 1 भूमि हीन व्यक्ति नही है तथा ना ही कृषक शब्द की परिभाषा में आता है। विपक्षी संख्या 1 विगत लगभग 35–40 वर्षों से ग्राम गेरोटी में निवास नही करता तथा इतने वर्षों पूर्व उसने सांसारिक जीवन का त्याग कर वेराग्य धारण कर लिया तथा तभी से वह ग्राम ऊंम में रहकर संन्यासी जीवन जी रहा है। विपक्षी संख्या 1 को मिथ्या वर्णन व कपट के आधार पर हुए उक्त आवंटन में आवंटन के लिये निर्धारित किसी भी नियम की अनुपालना नही की गई है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक को उक्त आवंटन का पूर्व में कोई ज्ञान या जानकारी नही थी, आज से 15 दिन पूर्व जब विपक्षी संख्या 1 के परिजनों को उक्त आवंटन की जानकारी हुई तो उस पर कब्जा करने पर आमादा हुऐ तथा इसका प्रयास असफल होने पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त जमीन को किसी अन्य को अन्तरित करने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे आवेदक को यह आवेदक प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतः आवेदन पेश कर निवेदन हैं कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 के हक में किया गया भूमि खसरा नम्बर 240/1 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि वाके ग्राम गैरोटी का आवंटन जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 198 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम गेरोटी है, को निरस्त फरमाया जावें।

हमने अभिभाषक आवेदक की लिखित बहस का अवलोकन किया एंव बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात तथा आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि आराजी साबिक खसरा नम्बर 240/1 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गैरोटी तहसील देवली हाल दूनी जिला टोंक मे से विपक्षी संख्या 1 को 4 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 12.01.1979 को किया गया था परन्तु आवेदक द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 09.10.2020 को पेश किया गया है। इस प्रकार आवंटन होने के लगभग 40 वर्षों के पश्चात् आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण पेश किया गया है। लगभग 40 वर्षों के पश्चात् आवंटन आदेश को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण पेश करने में हुई देरी के कोई ठोस कारण अभिभाषक आवेदक द्वारा नहीं बताये गये है और न ही इस संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया है। आवंटन पत्रावली पर अंकित पटवारी की रिपोर्ट से आवंटित भूमि पर आवंटन के समय आवंटी का कब्जा होना सिद्ध है। अभिभाषक आवेदक ने विपक्षी सं. 1 के भूमिहीन व्यक्ति नहीं होने तथा कृषक नहीं होने का कथन अपनी बहस में किया है परन्तु इन कथनों की पुष्टि में कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि पेश नहीं किये है। कब्जा करने मात्र से भूमि पर कोई अधिकारिता सिद्ध नहीं होती है। वर्तमान में आवंटित भूमि प्रतिपक्षी सं. 1 की गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किए है, जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी सं. 1 के हक में किया गया आवंटन बाबत नम्बर 240/1 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि वाके ग्राम गैरोटी के आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र आवेदक खारिज किया जाकर दिनांक 12.01.1979 को विपक्षी सं. 1 के पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 240/1 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि वाके ग्राम गैरोटी का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक